बिहार सरकार
समाहरणालय, सीवान
सीवान –841226
(जिला निर्वाचन शाखा)

दूरभाष 06154–242099 (कार्या0)
06154–242860 (कार्या0)
06154–242098 (आवास)
06154–242348 (फैक्स)
email: dm-siwan.bih@nic.in

जिलाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सीवान की अध्यक्षता में दिनांक–26.09.2020 को बिहार विधान सभा आम चुनाव–2020 को लेकर गठित विभिन्न कोषांगो के वरीय पदाधिकारियों, नोडल पदाधिकारियों, अनुमण्डल पदाधिकारियों, प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों एवं अंचलाधिकारियों के साथ हुई समीक्षात्मक बैठक की कार्यपवाही :–

उपस्थितिः– पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम जिलाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सीवान द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि सीवान जिला में दिनांक 20.10.20 तक निर्वाचन आयोग का भ्रमण प्रस्तावित है। उक्त आलोक में सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी निर्वाचन से संबंधित सभी गतिविधियों का ससमय सम्पादन करते हुए अद्यतन प्रतिवेदन संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करें। तत्पश्चात् कोषांगवार कार्यो की प्रगति की समीक्षा निम्न प्रकार की गई :–

1–PCCP एवं रूट चार्ट निर्धारण :–समीक्षा के क्रम में बताया गया कि PCCP एवं रूट चार्ट निर्धारण से संबंधित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था परन्तु मैरवा एवं जीरादेई प्रखण्डों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में काफी त्रुटि थी, जिसे शीघ्र त्रुटि निराकरण कर अद्यतन प्रतिवेदन हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया था परन्तु अब तक अप्राप्त है। इस पर जिलाधिकारी द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा गया कि निर्वाची पदाधिकारी के स्तर से सही ढ़ंग से अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण नहीं किया जा रहा है। संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के माध्यम से दिनांक 27.09.2020 को PCCP एवं रूट चार्ट निर्धारण से संबंधित प्रतिवेदन हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में अचूक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी निर्वाची पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि दिनांक 27.09.20 को अपने–अपने विधान सभा क्षेत्र से संबंधित प्रतिवेदन का हार्ड कॉपी के साथ बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे। **(अनु0–नोडल पदा0, विधि–व्यवस्था कोषांग/संबंधित निर्वाची पदाधिकारी/संबंधित सहायक निर्वाची पदाधिकारी)**

2–Vulnerability Mapping :–सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि सभी सेक्टर पदधिकारियों एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारी संयुक्त रूप से अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत मतदान केन्द्रों का VM Mapping के तहत सभी भेद्य टोला/भेद्य परिवार/भेद्य वोटर एवं भेद्यता पैदा करने वाले/डराने वाले व्यक्ति के विरुद्ध अभी तक क्या–क्या कार्रवाई की गई है, से संबंधित संयुक्त प्रतिवेदन संबंधित निर्वाची पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से विधि–व्यवस्था कोषांग को अचूक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। **(अनु0–अनुमण्डल पदाधिकारी, सीवान सदर/महाराजगंज/सभी निर्वाची पदाधिकारी/सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी/सभी थानाध्यक्ष)**

3–दं0प्र0सं0 107 की कार्रवाई–अनुमण्डल पदाधिकारी, सीवान सदर एवं महाराजगंज को निदेश दिया गया कि इसे गम्भीरता से लेते हुए अधिक–से–अधिक संख्या में कैम्प मोड में दं0प्र0सं0 107, 110 एवं 116 के तहत नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। **(अनु0–अनुमण्डल पदा0, सीवान सदर/महाराजगंज/सभी निर्वाची पदा0/संबंधित सहायक निर्वाची पदा0)**

4–AMF (Assured Minimum Facility) :–जिलाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को कहा गया कि इस बार विधान सभा निर्वाचन–2020 प्रातः 7.00 बजे से 6.00 बजे संध्या तक संचालित किया जायेगा। सीवान जिला में दिनांक 03.11.20 को चुनाव की तिथि घोषित की गई है। उक्त अवधि के दौरान 5.00 बजे अपराह्न में ही अंधेरा हो जाता है। उक्त के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी अपने स्तर से सभी मतदान केन्द्रों पर नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण कर प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय। साथ ही, सभी मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन करवाते हुए सभी मतदान केन्द्रों पर AMF की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करवाना सुनिश्चित करें। **(अनु0–सभी निर्वाची पदाधिकारी/सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी)**

5–मतदान केन्द्रों का सत्यापन :–समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अभी तक 03 प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों द्वारा अपने–अपने प्रखण्ड अन्तर्गत मतदान केन्द्रों एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सीवान सदर द्वारा नगर परिषद् अन्तर्गत सभी मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है, जो खेद एवं चिन्ता का विषय है। निदेश दिया गया कि यथाशीघ्र शत–प्रतिशत मतदान केन्द्रों का भ्रमण कर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करायें। साथ ही सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि कम–से–कम एक मॉडल मतदान केन्द्र बनाया जाय। **(अनु0–सभी सहायक निर्वाची पदा0)**

5–स्वीप प्रबंधन कोषांग :–सभी निर्वाची पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अपने–अपने विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विगत चुनाव में 30 प्रतिशत से कम मतदान डाले गये मतदान केन्द्रों को चिन्हित कर स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक किया जाय। **(अनु0–नोडल पदा0, स्वीप कोषांग/सभी निर्वाची पदा0/सभी सहायक निर्वाची पदा0)**

6–MCC कोषांग :–जिलाधिकारी द्वारा कहा गया कि दिनांक 25.09.20 से आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। नोडल पदाधिकारी, MCC कोषांग एवं व्यय प्रबंधन कोषांग को को निदेश दिया गया कि सीवान जिला के महत्वपूर्ण पथों पर चेकपोस्ट/ड्रॉपगेट तैयार कर रात्री FST की सक्रियता बढ़ा दिया जाय। दिनांक 27.09.20 को पुलिस अधीक्षक, सीवान के साथ अधोहस्ताक्षरी द्वारा उनकी गतिविधियों की जाँच की जायेगा। साथ ही सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अपने–अपने प्रखण्ड अन्तर्गत राजनीतिक दलों से संबंधित बैनर/पोस्टर/होर्डिंग आदि को निर्धारित समय–सीमा के अन्दर हटवाना सुनिश्चित करें, ताकि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उसकी भी जाँच की जायेगी। **(अनु0–नोडल पदा0,MCC को0/व्यय प्रबंधन को0/अनुमण्डल पदा0,सीवान/महाराजगंज/सभी निर्वाची पदा0/सभी सहायक निर्वाची पदा0)**

7–प्रशिक्षण कोषांग :–नोडल पदाधिकारी, प्रशिक्षण कोषांग को निदेश दिया गया कि महिला कर्मियों को पुनः प्रशिक्षण दे दिया जाय। साथ ही दिनांक 28.09.20 को प्रथम रेण्डमाईजेसन हेतु आवश्यक तैयारी करना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी कर्मियों को सोशल डिस्टेंशिंग का सख्ती से पालन करने, फेस मास्क एवं सैनीटाईजर का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करने हेतु प्रशिक्षित करें। **(अनु0–नोडल पदा0, प्रशिक्षण कोषांग)**

8–कोविड–19 :–जिलाधिकारी द्वारा कहा गया कि इस बार चुनाव में कोविड–19 के मद्देनजर सभी मतदान कर्मियों को मेडिकल कीट उपलब्ध कराया जायेगा और मतदान केन्द्र पर हेल्थ टेस्ट भी कराया जाना है एवं ए0एन0एम0/आशा कार्यकर्त्ता द्वारा मतदाताओं का स्क्रीनिंग भी किया जायेगा। सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि सभी मतदान केन्द्रों पर सोशल डिस्टेंशिंग का सख्ती से पालन कराया जाय, फेस मास्क एवं सैनीटाईजर का भी अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करने हेतु निदेशित करेंगे। साथ ही मतदान के 02 दिन पूर्व मतदान केन्द्र का अच्छी तरह सैनीटाईज भी कराया जाय। **(अनु0–नोडल पदा0, कोविड–19 कोषांग/सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी)**

12–अनुमति कोषांग :–समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सभा/रैली के लिए प्रखण्ड सीवान सदर–07, जीरादेई–06, दरौली–07, रघुनाथपुर–04, बड़हरिया–05 एवं गोरेयाकोठी–12 स्थलों की सूची दी गई है। सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि चुनाव के दौरान रैली/सभा करने हेतु अपने–अपने प्रखण्ड अन्तर्गत कम–से–कम 10–10 स्थलों की विस्तृत सूची अनुमति कोषांग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी निर्वाची पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि सभा/रैली/जुलूस/हैलीपेड आदि की अनुमति देने के संबंध में अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण लेना सुनिश्चित करें। **(अनु0–सभी निर्वाची पदाधिकारी/नोडल पदा0, अनुमति कोषांग/जिला सूचना एवं विज्ञान पदा0)**

13–मतपत्र कोषांग :–जिलाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को बताया गया कि इस बार चुनाव में 80 वर्ष से ऊपर, पी0डब्ल्यू0डी0 एवं कोविड पोजिटिव/संक्रमित इच्छुक मतदाताओं द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए वे नाम–निर्देशन की तिथि दिनांक 09.10.20 से 13.10.20 तक 12–डी0 प्रपत्र के माध्यम से अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं। इस संबंध में सभी बी0एल0ओ0 को 12–डी0 का पर्याप्त संख्या में प्रपत्र उपलब्ध कराते हुए प्रशिक्षित करना सुनिश्चित करें। साथ ही नोडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इस आशय से संबंधित पत्र एवं प्रपत्र को व्हाट्स एप ग्रुप में अपलोड करना सुनिश्चित करें। **(अनु0–सभी निर्वाची पदाधिकारी/नोडल पदा0, मतपत्र कोषांग/सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी)**

14–विविध :–

1. जिलाधिकारी द्वारा सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि इस बार चुनाव में मतदान कर्मियों को RTGS के माध्यम से राशि का हस्तांतरण किया जायेगा। उक्त के आलोक में यथोचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। **(अनु0–सभी निर्वाची पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी)**
2. समीक्षा के दौरान प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, भगवानपुर हाट द्वारा बताया गया कि उनके प्रखण्ड अन्तर्गत एक ऐसा मतदान केन्द्र है, जहाँ मतदान के दौरान तत्काल सुविधा पहुँचाने में काफी असुविधा होगी तथा दूसरे मतदान केन्द्र पर अत्यधिक जलजमाव है, जिसका जल निकासी में काफी दिक्कत हो रही है। इस संबंध में संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अविलम्ब मतदान केन्द्र का भ्रमण कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। **(अनु0–निर्वाची पदाधिकारी, 112–महाराजगंज विधान सभा क्षेत्र)**
3. कतिपय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सेक्टर पदाधिकारी के साथ सम्बद्ध किए गए सेक्टर पुलिस पदाधिकारी द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। निदेश दिया गया कि इस दिशा में कारगर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। **(अनु0–प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, सीवान)**
4. जिलाधिकारी द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि मतदान को शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने हेतु अपने–अपने विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत मतदान केन्द्रों को अनिवार्य रूप से भ्रमण कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। करें। **(अनु0–सभी निर्वाची पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी, सीवान सदर/महाराजगंज/सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी/अंचलाधिकारी)**

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–

जिलाधिकारी–सह–जिला
निर्वाचन पदाधिकारी,सीवान

ज्ञाप सं0– 1093 /निर्वा0 दिनांक– 27 वी सितम्बर, 2020 ई0

प्रतिलिपिः–अपर समाहर्त्ता, सीवान/उप विकास आयुक्त, सीवान/अनुमण्डल पदाधिकारी,सीवान सदर/महाराजगंज को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–सभी कोषांगो के नोडल पदाधिकारियों/जिला नजारत उप समाहर्ता,सीवान/कार्यपालक अभियन्ता,भवन प्रमण्डल,सीवान/सिविल सर्जन,सीवान/जिला शिक्षा पदाधिकारी,सीवान/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्वशिक्षा अभियान,सीवान को सूचना एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–उप निर्वाचन पदाधिकारी,सीवान को सूचना एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी–सह–जिला
निर्वाचन पदाधिकारी,सीवान